रजिस्टर्ड/सील्ड

**उत्तर प्रदेश शासन**

**कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2**

**संख्या-205/2024/3271/22-2-2023-17(828)/2019**

**लखनऊः दिनांकः 30 अक्टूबर, 2024**

**आदेश**

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए शासनादेश संख्या-564/2018/1106/22-2-2018-07जी/2018, दिनांक 01 अगस्त, 2018 एवं सपठित संशोधन विषयक शासनादेश संख्या-120/2021/1382/22-2-2021-07जी/2018, दिनांक 28.07.2021 व शासनादेश संख्या-52/2022/1240/22-2-2022-07जी0/2018, दिनांक 27.05.2022 के प्रस्तर-2(ख) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत 05 सितम्बर, 2023 (शिक्षक दिवस) के अवसर पर केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बेनी (बन्दी संख्या-44694) पुत्र श्री कोमिल, निवासी दौलतपुर हीरा, थाना-बीसलपुर, जनपद-पीलीभीत, जिसे सत्र परीक्षण संख्या-194/1982 में भा0द0वि0 की धारा-147,302, 323/149 के अन्तर्गत मा0 सत्र न्यायाधीश, पीलीभीत के आदेश दिनांक 28.02.1983 द्वारा दोषमुक्त किया गया, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित शासकीय अपील में पारित आदेश दिनाँक 16.05.2008 द्वारा अपील निर्णीत करते हुए बन्दी को आजीवन कारावास से दण्डित किया गया तथा जिसने दिनांक 05.09.2023 तक 16 वर्ष 10 दिन की अपरिहार सजा तथा 21 वर्ष 29 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बंदी द्वारा कारावास में भोगी गयी सजा, कारावास की अवधि में जेल आचरण संतोषजनक होने के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में विधि सम्मत आचरण एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये रू0 50,000/- (पचास हजार रूपये मात्र) से अनाधिक धनराशि का एक निजी मुचलका अपने सम्बन्धित कारागार के वरिष्ठ अधीक्षक / अधीक्षक को प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

मदन मोहन
विशेष सचिव।

संख्या-205/2024/3271(1)/ 22-2-2023-17(828)/2019, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत।
3- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पीलीभीत।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
5- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

विनोद कुमार द्विवेदी
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।